रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27022024-252439
SG-DL-E-27022024-252439

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 446
No. 75]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945	[N. C. T. D. No. 446

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली अभिलेखागार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 फरवरी, 2024

सं. फा. डीए/26/2022–प्रशासन/300.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 19/09/2013 की अधिसूचना सं. 1(39)/2011–अभिलेखागार/1139 के द्वारा अधिसूचित इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से संबंधित पहले की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों के सिवाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में **सहायक अभिलेखपाल, ग्रेड–I** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (क) इन नियमों को दिल्ली अभिलेखागार विभाग, **सहायक अभिलेखपाल, ग्रेड–I** भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादिः**— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**— इन विनियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**सहायक अभिलेखपाल, ग्रेड—I**
2.	**पदों की संख्या**	:	08(2024)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख',
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर—6 (35400—112400/—रुपये)
5.	**क्या चयन पद है/ गैर चयन पद**	:	लागू नहीं ।
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट 1**:—आयु सीमा निर्धारण के लिए मान्य तारीख समक्ष प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	**अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य** :— **1.** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास के पेपर सहित इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन में डिप्लोमा। **वांछनीयः** मान्यता प्राप्त संस्थान से माईक्रोसॉफ्ट आफिस में पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट कोर्स)। **टीपः**— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यताः लागू नहीं

9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**सीधी भर्ती द्वारा** **टीपः**– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी तथा कॉलम 7 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले अधिकारियों से भरी जा सकती हैं। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी)
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	लागू नहीं।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय स्थाईकरण समिति** 1. वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. विशेष/ अपर सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य **टीप** :– यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चोखा राम गर्ग, सचिव

DEPARTMENT OF DELHI ARCHIVES

NOTIFICATION

Delhi, the 26th February, 2024

No. F. DA/26/2022-Administration/300.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No. F.1(39)/2011-Archives/1139 dated 19/09/2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of ‘Assistant Archivist Grade-I’ in the Department of Delhi Archives, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**

(1) These rules may called the Department of Delhi Archives, Assistant Archivist Grade-I Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**

No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post.	Assistant Archivist Grade-I.
2.	Number of Posts.	08* (2024). *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Non Ministerial, Non-Gazetted, Group, B
4.	Pay Level in the Pay Matrix.	Level-6 (Rs. 35400-112400).
5.	Whether Selection Post / Non-Selection Post.	Not applicable.
6.	Age limits for Direct Recruits.	Not Exceeding 30 Years (relaxable for Government Servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	**Essential :** 1. Master's Degree in History with a paper in Modern Indian History from a recognized University. 2. Diploma in Archives and Record Management from a recognized University or Institute. **Desirable** : Certificate course in Microsoft Office from recognized Institution. **Note** : Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

8.	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Age : Not applicable EQ : Not Applicable
9.	Period of Probation if any.	Two years for direct recruits.
10.	Method of Recruitment.	By Direct Recruitment. **Note** : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/UTs holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under Column 7. (The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of the applications.)
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Departmental Confirmation Committee :** 1. Financial Commissioner, Government of NCT of Delhi : **Chairperson** 2. Administrative Secretary of the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi : **Member** 3. Special/Additional Secretary (GAD), Government of National Capital Territory of Delhi: **Member** **Note** : Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.27 22:15:34 +05'30'